

## समाहरणालय मधेपुरा

(जिला प्रोग्राम शाखा)

परियोजना निदेशक, एन0एम0यू0 -सह- निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 714 दिनांक 11.07.14 एवं पत्रांक 1385 दिनांक 08.12.14 के आलोक में क्रमशः दिनांक 22.12.14, दिनांक 09.01.15 तथा दिनांक 27.03.15 को उद्दीपिका चयन हेतु योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्रों की जाँच के समय निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन दिया गया कि गर्भवती होने के कारण साईकिल चलाने में असमर्थ है। जिसके सम्बंध में विभागीय पत्र संख्या- 1233 दिनांक 17.10.14 द्वारा प्राप्त निदेश के अनुसार वे अभ्यर्थी जो साक्षतकार की तिथि को गर्भवती होने के कारण साईकिल चलाने की दक्षता जाँच में असफल हो गई है। वैसे अभ्यर्थी का प्रसव के छः महीने के अन्दर साईकिल चलाने की दक्षता की जाँच कराकर चयन किया जाना है।

उक्त विभागीय निदेश के आलोक में अभ्यर्थी बीबी शाहजहाँ खातुन, पिता- मो0 नईमउद्दीन ग्राम- भेलवा जजहट सबैला प्रखण्ड सिंहेश्वर जिला मधेपुरा एवं श्रीमती मीनू कुमारी पति संजय भगत, ग्राम+पो0- परवा धाना- मुरलीगंज जिला- मधेपुरा द्वारा आवेदन दिया गया उनका साईकिल दक्षता जाँच कराई जाय। पूर्व तिथियों में चयन समिति के बैठक की कार्यवाही के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि निम्न कारणों से उक्त दोनो अभ्यर्थियों का साईकिल चलाने दक्षता जाँच नहीं हो सका था।

(1) दिनांक 22.12.14 को आहुत चयन स्थिति की बैठक की कार्यवाही के अनुसार दिनांक 22.12.14 को साक्षात्कार के समय आवेदिका बीबी शाहजहाँ खातुन, पिता- मो0 नईमउद्दीन, ग्राम- भेलवा वार्ड न0- 01 प्रखण्ड- सिंहेश्वर, जिला- मधेपुरा का चयन इस आधार पर नहीं किया गया कि वे उस समय साईकिल चलाने में असफल रही थी। जिसपर आवेदिका बीबी शाहजहाँ खातुन द्वारा दिनांक 19.06.2015 को जिला पदाधिकारी मधेपुरा को संबोधित एक आवेदन दे कर उल्लेखित किया गया कि दिनांक 22.12.14 को गर्भवती होने के कारण साईकिल चलाने में भाग नहीं ले सकी। साक्ष्य के रूप में गर्भवती होने का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार अर्न्तगत सदर अस्पताल मधेपुरा द्वारा दिनांक 20.12.14 को निर्गत पूर्जा की छायाप्रति संलग्न किया गया। साथ ही साथ दिनांक 22.12.14 को साक्षतकार के समय भी गर्भवती होने संबंधी आवेदन साक्षात्कार के पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी अपर समाहर्ता आपदा के समक्ष दिया गया। साक्ष्य के रूप में आवेदन की छायाप्रति भी संलग्न किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 23.02.15 को उनका गर्भपात होने संबंधी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिंहेश्वर के द्वारा दिनांक 09.04.15 को निर्गत पुर्जा की छायाप्रति भी आवेदिका द्वारा समर्पित दी गई तथा पूर्व में भी वार वार आवेदिका द्वारा आवेदन देकर अनुरोध किया गया कि विभागीय प्रावधान के तहत साईकिल चलाने का दक्षता जाँच कर चयन किया जाय।

(2) उसी प्रकार अभ्यर्थी मीनू कुमारी पति- संजय भगत, ग्राम+पो0- परवा, भाया- मुरलीगंज जिला- मधेपुरा द्वारा दिनांक 30.03.15 को तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा के समक्ष आवेदन दिया गया कि दिनांक 22.12.14 के साक्षात्कार के समय भाग नहीं ले सकी तथा जिला प्रोग्राम कार्यालय के ज्ञापांक 421 दिनांक 23.03.15 के आलोक में जिला चयन समिति द्वारा साईकिल दक्षता

जाँच परीक्षा में दिनांक 27.03.15 को ससमय समाहरणालय पहुँच परन्तु जाँच के समय बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं लाने के कारण जाँच नहीं हुई। पुनः दिनांक 30.03.2015 को जन्म प्रमाण पत्र जमा किया गया। दिनांक 27.03.15 को आहुत साईकिल दक्षता जाँच परीक्षा से संबंधित चयन समिति की कार्यवाही के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदिका का साईकिल दक्षता जाँच परीक्षा, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण नहीं कराया गया जिसके कारण आवेदिका द्वारा पुनः आवेदन दी गयी आवेदिका मीनू कुमारी द्वारा दिनांक 30.03.15 को समर्पित प्रसव से जन्म दिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चे का जन्म दिनांक 18.12.14 को सदर अस्पताल सहरसा में हुआ जो साक्षतकार के तिथि के पूर्व हुआ है। साथ ही साथ विभागीय निदेश के अनुसार प्रसव के छः माह के अन्दर गर्भवती अभ्यर्थी को साईकिल चलाने की दक्षता में सफल होना आवश्यक है। कार्यालय में संघारित संचिका के अनुसार प्रसव के बाद दिनांक 16.02.15 को आवेदिका मीनू कुमारी द्वारा साईकिल दक्षता जाँच कराने का आवेदन तत्कालिन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा के समक्ष दी गयी है जो प्रसव के बाद निर्धारित समय सीमा के अन्दर है। आवेदिका के आवेदन के संदर्भ में दिनांक 27.03.15 से आवेदिका का साईकिल दक्षता जाँच में समिति के समक्ष उपस्थित होने की सूचना दी गयी। यह प्रसव के बाद निर्धारित समय सीमा छः माह के अन्दर है, परन्तु 27.03.15 को साईकिल चलाने की दक्षता जाँच समिति द्वारा इस आधार पर नहीं किया गया कि प्रसव के बाद जन्म लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया। दिनांक 30.03.15 को आवेदिका द्वारा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र समर्पित किए जाने के बाद तत्कालिन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा छः माह जो प्रसव के बाद दिनांक 17.05.15 है। के अन्दर साईकिल दक्षता जाँच नहीं कराया जा सका। जबकि आवेदिका द्वारा जाँच करने का अनुरोध समय सीमा के अन्दर किया गया। डॉक्टर के द्वारा आवेदिका के फिटनेस के संबंध में निर्गत प्रमाण-पत्र के अनुसार आवेदिका दिनांक 10.02.15 से स्वस्थ है। जिसके अनुसार छः माह की अवधि दिनांक 08.09.15 तक है। इस प्रकार दोनो अभ्यर्थियों को साईकिल चलाने की दक्षता जाँच के संदर्भ में उल्लेखित कारणों के आधार पर जिलाधिकारी मधेपुरा से आदेश प्राप्त किया। जिला पदाधिकारी मधेपुरा का उल्लेखित आदेश निम्नवत है।

‘चयन समिति के समक्ष आवेदिका साईकिल चलाये यदि साईकिल चलाने में आवेदिका सफल हो जाए तो समिति अपनी अनुसंसा निदेशालय/सोसायटी को भेजे दिनांक 22.07.15 की तिथि निर्धारित की जाती है’।

जिला पदाधिकारी मधेपुरा से प्राप्त निदेश के आलोक में उक्त दोनो आवेदिका का साईकिल चलाने की दक्षता की जाँच चयन समिति द्वारा दिनांक 22.07.15 को की गई जाँच के दौरान विडियोग्राफी भी कराया गया। चयन समिति में निम्नांकित सदस्य है।

- |   |            |
|---|------------|
| (1) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा                          | अध्यक्ष    |
| (2) श्री आर0एल0 सत्यार्थी, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी मधेपुरा | सदस्य      |
| (3) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सिंहेश्वर                    | सदस्य सचिव |
| (4) डी0पी0एम0 केयर इंडिया मधेपुरा                             | सदस्य      |
| (5) डी0पी0एम0 जीवीका मधेपुरा                                  | सदस्य      |

**साईकिल चलाने की दक्षता जाँच का परिणाम निम्नवत है:-**

**प्रखण्ड:- सिंहेश्वर**

| क्र०                      | अभ्यर्थी का एवं पता   | पंचायत     | रोस्टर के अनुसार कोटी | रौल नम्बर  | परीक्षा फल के आधार पर मेधा अंक | साईकिल चलाने की दक्षता | अभ्युक्ति |
|---------------------------|---|------------|-----------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| 1                         | 2   | 3          | 4                     | 5          | 6                              | 7                      | 8         |
| 1                         | बैबी शाहजहाँ खातुन, पिता- मो० नईमउद्दीन, ग्राम- भेलवा वार्ड न०- 01, पंचायत- जजहट सवैला, प्रखण्ड-सिंहेश्वर, जिला- मधेपुरा। | जजहट सवैला | UR                    | 5104000522 | 57.00                          | साईकिल चलाने में सफल   |           |
| <b>प्रखण्ड:- मुरलीगंज</b> |   |            |                       |            |                                |                        |           |
| 1                         | मिन्नु कुमारी, संजय भगत, ग्राम+पो०- परवा, थाना- मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा।  | परवा नवटोल | UR                    | 5104000962 | 57.50                          | साईकिल चलाने में सफल   |           |

जिला पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में साईकिल चलाने के दक्षता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण दोनो अभ्यर्थियों के नियोजन करने के पूर्व परियोजना निदेशक एन.एम.यू.-सह-निदेशक आई०सी०डी०एस० निदेशाल बिहार, पटना, से अनुमोदन प्राप्त करने के बिन्दु पर चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही की प्रति भेजते हुए वहाँ से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही नियोजन की अग्रेतर कार्रवाई की जाय।




  
 डी०पी०एम० डी०पी०एम० बा०वि०परि०पदा० जि०भ०नि०पदा० जिला प्रोग्राम पदाधिकारी  
 जीविका केयर इंडिया सिंहेश्वर मधेपुरा मधेपुरा मधेपुरा  
 मधेपुरा मधेपुरा

ज्ञापांक...1052.../दिनांक...22.07.../2015

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला स्तरीय चयन समिति के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, एन०एम०यू० -सह- निदेशक, आई०सी०डी०एस० अपना घर,(ललित भवन के पीछे) बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- एन०आई०सी० मधेपुरा के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी  
 मधेपुरा